निर्णय बइजलास काना राम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 52/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) **जीसीएमएस नं0 2025/396**

एक्सिस बैंक जयपुर ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री जयकिशन शर्मा पुत्र श्री परमानन्द शर्मा पता – सिविल हॉस्पिटल के सामने वार्ड नं. 21, सुनारों की गली, गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर राजस्थान 322201 (मो.न. 7014412804)
2. श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री जयकिशन पता – रेल्वे स्टेशन के पास, वार्ड नं0 17, गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर राजस्थान 322201
3. श्रीमती चिरोंजी देवी पत्नी स्व0 श्री परमानन्द शर्मा, पता 1– वार्ड नं0 02, नाना मुखिया, आनंदपुरी, अम्बालिया, बांसवाडा राजस्थान 327031
अन्य पता– मकान नं. 119 वार्ड नं0 21 राजकीय चिकित्सालय के सामने गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर राजस्थान 322201

..........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.06.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री जयकिशन शर्मा पुत्र श्री परमानन्द शर्मा पता – सिविल हॉस्पिटल के सामने वार्ड नं. 21, सुनारों की गली, गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड, वार्ड संख्या 21 सरकारी हॉस्पिटल के सामने, गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में श्री रामस्वरूप का मकान, पश्चिम में श्री आम रास्ता, उत्तर में हरिचरण का मकान व दक्षिण में पुरूषोत्तम का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 268 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 52,50,000/–(बावन लाख पचास हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.12.2024 (प्रेषण दिनांक 19.12.2024) को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. अप्रार्थी ऋणी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने हेतु समय दिये जाने बाबत निवेदन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बहस के दौरान ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में समय चाहा गया।
3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि तथा अप्रार्थी को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 17.12.2024 (प्रेषण दिनांक 19.12.2024) को रजिस्टर्ड नोटिस जारी गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है किन्तु न्यायहित मे अप्रार्थी को बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने हेतु 12 जून 2026 (एक माह) तक का समय दिया जाता हैं। यदि अप्रार्थी द्वारा नियत समयावधि तक बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया जाता है तो अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड, वार्ड संख्या 21 सरकारी हॉस्पिटल के सामने, गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में श्री रामस्वरूप का मकान, पश्चिम में श्री आम रास्ता, उत्तर में हरिचरण का मकान व दक्षिण में पुरूषोत्तम का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 268 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने हेतु स्वतंत्र है।
5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक/अप्रार्थी ऋणी को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 13.5.2026 को सुनाया गया।

(काना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner